

भागीय बाद सं०.....

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन).....

भा.व.उ. 1927 की धारा 32(ज), 32(क), 32(1), 33(ए), 33(14) अन्य अपराध का प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 33(ए) 33(14) दिनांक 23/2/2019 अधिक्षेत्र राजि. डिवीजन

1- नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान

प्रभागीय प्रबन्धक नामरा राजा सिंह पूर्व मंडला

उपमंडल लि. प्रथम टल सेक्टर स्पोरा सेक्टर 16 मी

उगावाय पिप्पल सिक्का योजना उगावा

2- साक्षी का नाम श्री मरशराम माली

विना अनुमति के गैर आधिकारिक संरक्षित

वन भूमि डिवीजन - रामपट्ट सेक्टर मी.

15.150 परची नापी पर क्षेत्र 0.0768 है वन भूमि

को सम्पर्क मंत्री में प्रयोग किया।

4- मूल्य

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध

निर्देशन है कि उगाज दिनांक 23/2/19

में विशेष कथन

रामपट्ट 3.00.1 फीट में डिवीजन लिट वन दरंग हमराह

श्री मरशराम माली जीट प्रभागी टल मारगज

को राम डिवीजन - रामपट्ट सेक्टर मी.

15.150 मी. नापी परची पर सेक्टर उगावा

लिमिटेड के लिटल डाउट लेट को चैक किया

गया। उगावा उगावल परच को सम्पर्क मंत्री

में प्रयोग 0.0768 है वन भूमि को प्रयोग की

परचीरान मंत्री को रनके द्वारा वन भूमि गैर

आधिकारिक नापी में प्रयोग वन भूमि की

अनुमति नहीं ली गई है। अतः रनके द्वारा राम. व.

उम 1927 की धारा 32(ज), 32(क), 32(1), 33(ए)

33(14) एवं वन संरक्षण अधिन. 1980 की

धारा 2 का जोर उल्लंघन किया गया है।

अतः रिपोर्ट सुनवाई एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

भवदीय

श्री उमेश कुमार मन्त्रि

जोचन (पोस्ट) प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
अलीगढ़ रेंज

निदेशिका सं० 10
दिनांक 23/2/19

23/2/19
(डिवीजन लिट)
से. ड. वनीय

प्रमाणित